

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-20/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.681 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-836/1649, रायपुर दिनांक 07.09.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-836/1857, दिनांक 19.10.2020।

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	खैरागढ़	मुहड़बरी	आरक्षित वन	350	1003.222	0.5	0.050
2			खैरागढ़	मुहड़बरी	आरक्षित वन	351	229.276	0.5	0.011
3			खैरागढ़	उरईडबरी	आरक्षित वन	225	81.193	0.5	0.004
4			खैरागढ़	आमदनी	आरक्षित वन	226	493.487	0.5	0.025
5			डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	आरक्षित वन	483	494.999	0.5	0.025
6			उत्तर बोरतलाव	पनियाजीब	आरक्षित वन	437	1586.249	0.5	0.080
7			उत्तर बोरतलाव	डोंगरगढ़	आरक्षित वन	473	992.102	0.5	0.049
8			दक्षिण बोरतलाव	घोरतलाव	आरक्षित वन	566	2524.331	0.5	0.126
9			दक्षिण बोरतलाव	बागरेकसा	आरक्षित वन	555	113.826	0.5	0.006
10			दक्षिण बोरतलाव	फतेगंज	आरक्षित वन	495	1902.308	0.5	0.095
11			छुईखदान	कोरुवा	आरक्षित वन	223	923.14	0.5	0.046
12			छुईखदान	कोरुवा	आरक्षित वन	224	1878.419	0.5	0.094
13			छुईखदान	कोरुवा	आरक्षित वन	228	60.023	0.5	0.003
14			छुईखदान	मठली	आरक्षित वन	237	3634.161	0.5	0.182

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
15	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान	भडली	आरक्षित वन	238	531.853	0.5	0.028
16			छुईखदान	नवागांव	आरक्षित वन	227	3147.568	0.5	0.158
17			छुईखदान	गालापार	आरक्षित वन	220	615.72	0.5	0.031
18			छुईखदान	गालापार	आरक्षित वन	222	1418.172	0.5	0.071
आरक्षित वन भूमि का योग							21630.049	0.5	1.084
19	राजनांदगांव	खैरागढ़	खैरागढ़	बिक्रमपुर	संरक्षित वन	P215	2610.454	0.5	0.131
20			खैरागढ़	उरईडबरी	संरक्षित वन	P230	1594.924	0.5	0.080
21			साल्हेवारा	घोठिया	संरक्षित वन	P129	544.443	0.5	0.027
22			साल्हेवारा	घोठिया	संरक्षित वन	P130	1019.946	0.5	0.051
23			साल्हेवारा	बकरकट्टा	संरक्षित वन	P153	1191.524	0.5	0.061
24			साल्हेवारा	बकरकट्टा	संरक्षित वन	P166	595.164	0.5	0.030
25			साल्हेवारा	कुम्हरवाड़ा	संरक्षित वन	P131	2481.932	0.5	0.124
26			साल्हेवारा	कुम्हरवाड़ा	संरक्षित वन	P151	973.46	0.5	0.049
27			साल्हेवारा	रामपुर	संरक्षित वन	P125	1707.62	0.5	0.085
28			साल्हेवारा	रामपुर	संरक्षित वन	P138	509.13	0.5	0.025
29			साल्हेवारा	सरईपतेरा	संरक्षित वन	P44	1071.345	0.5	0.054
30			साल्हेवारा	सरईपतेरा	संरक्षित वन	P46	747.217	0.5	0.037
31			साल्हेवारा	साल्हेवारा	संरक्षित वन	P113	1521.799	0.5	0.076
32			साल्हेवारा	साल्हेवारा	संरक्षित वन	P114	554.949	0.5	0.028
33			साल्हेवारा	साल्हेवारा	संरक्षित वन	P116	1575.889	0.5	0.079
34			साल्हेवारा	साल्हेवारा	संरक्षित वन	P117	1087.909	0.5	0.054
35			साल्हेवारा	साल्हेवारा	संरक्षित वन	P120	2142.601	0.5	0.107
36			साल्हेवारा	देवपुरा	संरक्षित वन	P118	1438.688	0.5	0.072
37			साल्हेवारा	देवपुरा	संरक्षित वन	P119	525.763	0.5	0.026
38			साल्हेवारा	नवागांव	संरक्षित वन	P29A	168.728	0.5	0.008
39			साल्हेवारा	नवागांव	संरक्षित वन	P29B	2093.745	0.5	0.105
40			साल्हेवारा	नवागांव	संरक्षित वन	P32	1781.317	0.5	0.089
41			साल्हेवारा	नवागांव	संरक्षित वन	P33	1212.405	0.5	0.061
42			डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	संरक्षित वन	P475	388.037	0.5	0.019
43			उत्तर बोरतलाव	बोरतलाव	संरक्षित वन	P442	238.427	0.5	0.012
44			उत्तर बोरतलाव	पनियाजोब	संरक्षित वन	P443	663.44	0.5	0.033
45			उत्तर बोरतलाव	पनियाजोब	संरक्षित वन	P450	170.045	0.5	0.008
46			उत्तर बोरतलाव	डोंगरगढ़	संरक्षित वन	P445	156.872	0.5	0.008
47			दक्षिण बोरतलाव	घोरतलाव	संरक्षित वन	P556A	507.942	0.5	0.025
48			दक्षिण बोरतलाव	कोटनाघानी	संरक्षित वन	P465	2571.766	0.5	0.128
49			दक्षिण बोरतलाव	शिशारी	संरक्षित वन	P484	666.311	0.5	0.032
50			दक्षिण बोरतलाव	भुरसाटोला	संरक्षित वन	P457A	1621.313	0.5	0.083
51			दक्षिण बोरतलाव	भुरसाटोला	संरक्षित वन	P459	727.576	0.5	0.036
52			दक्षिण बोरतलाव	फतेगंज	संरक्षित वन	P491	525.369	0.5	0.026
53			दक्षिण बोरतलाव	फतेगंज	संरक्षित वन	P499	443.174	0.5	0.022
54			दक्षिण बोरतलाव	फतेगंज	संरक्षित वन	P501	1027.199	0.5	0.051
55			दक्षिण बोरतलाव	अण्डी	संरक्षित वन	P463	293.696	0.5	0.015
56			दक्षिण बोरतलाव	टाटेकसा	संरक्षित वन	P569	961.874	0.5	0.049

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
57	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान	बाबूनवागांव	सरक्षित वन	P204	429.98	0.5	0.021
58			छुईखदान	कुम्ही	सरक्षित वन	P167	1920.048	0.5	0.096
59			छुईखदान	कुम्ही	सरक्षित वन	P169	3021.66	0.5	0.151
60			छुईखदान	भटली	सरक्षित वन	P236	385.256	0.5	0.019
61			छुईखदान	मुजारी	सरक्षित वन	P233	1090.535	0.5	0.054
62			छुईखदान	गुमानपुर	सरक्षित वन	P201	2479.475	0.5	0.123
63			छुईखदान	गुमानपुर	सरक्षित वन	P202	3726.652	0.5	0.186
64			गडई	मोहगांव	सरक्षित वन	P31	1016.912	0.5	0.050
65			गडई	मोहगांव	सरक्षित वन	P41	214.845	0.5	0.011
66			गडई	मोहगांव	सरक्षित वन	P93	691.769	0.5	0.034
67			गडई	मानपुर	सरक्षित वन	P3	1978.769	0.5	0.099
68			गडई	रोतवा	सरक्षित वन	P91	189.669	0.5	0.009
69			गडई	दरबानटोला	सरक्षित वन	P30	5301.725	0.5	0.266
70			गडई	जंगलपुर	सरक्षित वन	P1	751.769	0.5	0.038
71			गडई	जंगलपुर	सरक्षित वन	P16	1215.185	0.5	0.061
72			गडई	जंगलपुर	सरक्षित वन	P94	855.926	0.5	0.043
73			गडई	जीराटोला	सरक्षित वन	P4	1036.555	0.5	0.052
सरक्षित वन भूमि का योग							66420.723	0.5	3.319
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	डोंगरगढ़	मुड़िया	राजस्व वन	281/2	260.322	0.5	0.012
2			डोंगरगढ़	मुड़िया	राजस्व वन	332/1	101.192	0.5	0.005
3			डोंगरगढ़	फतेगंज	राजस्व वन	61	10.201	0.5	0.001
4			डोंगरगढ़	बागैकसा	राजस्व वन	413	29.638	0.5	0.001
5			डोंगरगढ़	बांसपहाड़	राजस्व वन	7	49.045	0.5	0.002
6			डोंगरगढ़	पनियाजोब	राजस्व वन	343/1	96.195	0.5	0.005
7			डोंगरगढ़	पनियाजोब	राजस्व वन	329	71.357	0.5	0.004
8			डोंगरगढ़	पनियाजोब	राजस्व वन	260	165.503	0.5	0.008
9			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	484	18.926	0.5	0.001
10			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	203	70.499	0.5	0.004
11			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	469	110.264	0.5	0.006
12			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	516	161.402	0.5	0.007
13			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	616	210.244	0.5	0.011
14			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	601	155.583	0.5	0.008
15			डोंगरगढ़	बरनारा कला	राजस्व वन	624	130.602	0.5	0.007
16			डोंगरगढ़	पनियाजोब	राजस्व वन	358/1	19.025	0.5	0.001
17			डोंगरगढ़	पनियाजोब	राजस्व वन	339/1	256.494	0.5	0.013
18			डोंगरगढ़	चिहो	राजस्व वन	331	28.218	0.5	0.001
19			डोंगरगढ़	चिहो	राजस्व वन	559	18.951	0.5	0.001
20			खैरागढ़	बिक्रमपुर	राजस्व वन	92	121.037	0.5	0.006
21			खैरागढ़	बिक्रमपुर	राजस्व वन	94	140.581	0.5	0.007
22			खैरागढ़	बिक्रमपुर	राजस्व वन	114	66.328	0.5	0.003
23			खैरागढ़	बिक्रमपुर	राजस्व वन	88	156.964	0.5	0.008

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
24	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान	गातापार	राजस्व वन	47	361.325	0.5	0.018
25			छुईखदान	भठली	राजस्व वन	350	14.070	0.5	0.001
26			छुईखदान	भठली	राजस्व वन	353	218.177	0.5	0.011
27			छुईखदान	भठली	राजस्व वन	355	132.951	0.5	0.007
28			छुईखदान	बकरकट्टा	राजस्व वन	171	42.159	0.5	0.002
29			छुईखदान	बकरकट्टा	राजस्व वन	141	78.199	0.5	0.004
30			छुईखदान	कुम्हरवाड़ा	राजस्व वन	94	22.380	0.5	0.001
31			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	118	107.007	0.5	0.005
32			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	63	45.263	0.5	0.002
33			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	28	378.314	0.5	0.018
34			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	90	116.710	0.5	0.006
35			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	94	113.743	0.5	0.006
36			छुईखदान	गेरुखदान	राजस्व वन	91	257.634	0.5	0.013
37			छुईखदान	सरौंधी	राजस्व वन	15	17.457	0.5	0.001
38			छुईखदान	सरौंधी	राजस्व वन	17	164.494	0.5	0.008
39			छुईखदान	गोलरडीह	राजस्व वन	97	119.160	0.5	0.006
40			छुईखदान	गोलरडीह	राजस्व वन	98/1	574.823	0.5	0.029
41			छुईखदान	गोलरडीह	राजस्व वन	14	355.324	0.5	0.018
राजस्व वन भूमि का योग							5567.761	0.5	0.278
कुल योग							93618.533 (93.618 कि.मी.)	0.5	4.681

उक्त 93.618 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 4.681 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.084 हे., संरक्षित वन भूमि 3.319 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.278 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रहेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांक/मांक/एफ-5-20/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/10/2020
11

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. ।
 3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.) ।
 4. वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल, (छ.ग.) ।
 5. आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

ole